न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—146 / 2013 राजस्व वाद

उनवान

1. सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर श्री कैलाशचंद्र पिता रामस्वरूप जी कोठारी निवासी सांगानेर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. मुबारिक हुसैन पिता इस्माइल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. सत्तार खां पिता इस्माइलखां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
3. श्रीमती मुमताज पत्नी मुबारिक हुसैन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
4. श्रीमती फातिमा पत्नी सत्तार खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
5. श्रीमती हाजरा पुत्री इस्माइल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा ।
6. श्रीमती शमा बेगम पुत्री इस्माइल खां पत्नी अयुब खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
7. श्रीमती रसीदा पुत्री इस्माइल खां पत्नी अकील खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
8. श्रीमती शहजाद बेगम पुत्री इस्माइल खां पत्नी मुमताज खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 188— 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र — स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1— अधिवक्ता वादी श्री भैरूलाल जी बापना

2— अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 08 श्री ओमप्रकाश नायक

3. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

[signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

: निर्णय :

दिनांकः—08.08.2024

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भदालीखेड़ा पटवार क्षेत्र आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में वादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी संख्या 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित है। उक्त आराजी सं0 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तादादी 4,50,000/—रूपयों में दिनांक 12.04.2007 को क्रय की थी जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन दिनांक 13.04.2007 को वादी के पक्ष में कराया गया था। वक्त क्रय से ही उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और हर वर्ष इस भूमि पर वादी ठेके से काश्त करवाता आ रहा है और इस समय वादी ने उक्त आराजी मोहम्मद शबीद पठान निवासी भदालीखेड़ा को ठेके पर काश्त हेतु दे रखी है और इस समय समस इस आराजी में वादी की फसल खड़ी है जो काफी बड़ी हो गई है। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी में खड़ी फसल को नष्ट करने पर आमादा हो रहे है व वादी की खातेदारी की उक्त आराजी को हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त आराजी में आनाधिकृत तौर से अतिक्रमण किया जा रहा है तथा वादी को उसके कब्जे काश्त की उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। जिसे रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा वादी को भारी नुकसान होगा। इस कारण से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वह वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी में किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करे। तथा वादी की फसल को कोई नुकसान किसी भी तरह से नही पहुचावे। एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और वादी को उसके खातेदारी अधिकार आधिपत्य की उक्त आराजी का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व्यवधान पैदा नहीं करे। जुलाई सन 1913 में प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त आराजी के ठेकेदार मोहम्मद शबीब से मौके पर जाकर लड़ाई झगड़ा किया और उक्त आराजी में जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा हुए और धमकी दी की हम वादी की उक्त आराजी में खड़ी फसल को नष्ट कर देंगे और इस आराजी पर जबरन कब्जा करेगे। जिस पर यह वाद पत्र तुरन्त पेश करने की नोबत आई है और कारण वाद जुलाई 2013 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम भदालीखेड़ा तह0 भीलवाड़ा में स्थित होने से इस वाद पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय उपखण्ड भीलवाड़ा का है।

अतः वादी प्रार्थना करता है कि वाद अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करवाई जाकर प्रतिवादीगण को अविलंब स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जोव कि वे ग्राम भदालीखेड़ा में स्थित वादी की खातेदारी की आराजी नं0 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी में किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करे तथा वादी की फसल को कोई नुकसान किसी भी तरह से नहीं पहुचावं एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी न तो स्वयं करे व न अन्य से करावे। न वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे और वादी को उसके खातेदारी अधिकार आधिपत्य की उक्त आराजी का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व्यवधान पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत की प्रदर्श 1 है। विक्रयपत्र दिनांक 13.04.2007 की नकल प्रदर्श 2 है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 ग्राम भदालीखेड़ा तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी श्री सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया। वादी की आराजी नम्बर 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण करने पर आमादा होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार है । प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

—:आदेश:—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 क आर0 टी0 ए0 का स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा में स्थित वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में प्रतिवादीगण किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करे तथा वादी की फसल को कोई नुकसान किसी भी तरह से नहीं पहुचाएं एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे न वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे और वादी को उसके खातेदारी अधिकार आधिपत्य की उक्त आराजी का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व्यवधान पैदा नहीं करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी करे।

Shad

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1. सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर श्री कैलाशचंद्र पिता रामस्वरूप जी कोठारी निवासी सांगानेर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. मुबारिक हुसैन पिता इस्माइल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. सत्तार खां पिता इस्माइलखां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
3. श्रीमती मुमताज पत्नी मुबारिक हुसैन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
4. श्रीमती फातिमा पत्नी सत्तार खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
5. श्रीमती हाजरा पुत्री इस्माइल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा ।
6. श्रीमती शमा बेगम पुत्री इस्माइल खां पत्नी अयुब खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
7. श्रीमती रसीदा पुत्री इस्माइल खां पत्नी अकील खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
8. श्रीमती शहजाद बेगम पुत्री इस्माइल खां पत्नी मुमताज खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदालीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 188– 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वादपत्र – स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 146/2013 राजस्व वाद

अप्रार्थी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 08 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश नायक उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 अनुपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 क आर0 टी0 ए0 का स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा में स्थित वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 530 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में प्रतिवादीगण किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करे तथा वादी की फसल को कोई नुकसान किसी भी तरह से नहीं पहुचाएं एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे न वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे और वादी को उसके खातेदारी अधिकार आधिपत्य की उक्त आराजी का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व्यवधान पैदा नहीं करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर